संख्या–842/14–2–2016–800 (153)/2015

प्रेषक,

अशोक कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

**वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2** **लखनऊ, दिनांक** 05 मई ~~अप्रैल,~~ **2016**

विषयः– जनपद हाथरस में मथुरा–सादाबाद मार्ग (एम0डी0आर0–102) किमी0 44.250 की बांयी पटरी पर ग्राम सादाबाद के खसरा संख्या–10/2, 11/2 में एस्सार ऑयल लि द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0579 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या–8बी/यूपी/06/18/2016/ एफसी/1428, दिनांक 15–02–2016 का संदर्भ ग्रहण करें,, जिसके माध्यम से 10 बिन्दुओं पर की आपत्तियों का निराकरण कर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी ने अपने कार्यालय पत्रांक–2120/हाथरस/13846/यू0पी0–103/2015, दिनांक 04–4–2016 द्वारा जनपद हाथरस में मथुरा–सादाबाद मार्ग (एम0डी0आर0–102) किमी0 44.250 की बांयी पटरी पर ग्राम सादाबाद के खसरा संख्या–10/2, 11/2 में एस्सार ऑयल लि द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0579 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का संशोधित प्रस्ताव 02 प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2– अतएव विषयगत संशोधित प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या–842(1)/14–2–2016–तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।

13/4/16